

उपभोक्ता एवं विधिक जागरूकता तथा सूचना का अधिकार



मानव विकास के साथ-साथ मानवीय आवश्यकताएँ बढ़ने लगीं। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव ने वस्तुओं का आदान प्रदान शुरू किया, धीरे-धीरे वस्तु विनिमय होने लगा, इसके बाद मुद्रा के रूप में कीमती धातुओं जैसे सोना, चांदी की बनी मुद्राओं का चलन शुरू हुआ। भारतीय इतिहास में वर्णन मिलता है, कि गायों को भी मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था। जब व्यक्ति किसी वस्तु या सेवा का मूल्य देकर उसे प्राप्त करके उपभोग करता अर्थात लाभ लेता है, तो वह उपभोक्ता कहलाता है। उपभोक्ता अर्थात प्राप्त करके उपभोग करने वाला व्यक्ति। उपभोक्ता अधिनियम 1986 के अनुसार उपभोक्ता वह व्यक्ति है :

(i) किसी वस्तु या सेवा के प्रतिफल (मूल्य) का भुगतान कर दिया हो, अथवा भुगतान करने का वचन दिया हो।

(ii) प्रतिफल का आंशिक भुगतान कर दिया हो, अथवा आंशिक भुगतान करने का वचन दिया हो।

(iii) प्रतिफल का भुगतान विलम्बित भुगतान विधि के अनुसार करने का वचन दिया हो।

क्रय की गई वस्तु या सेवा से लाभ या सुविधा प्राप्त करने वाला अन्तिम व्यक्ति उपभोक्ता होता है। उपभोक्ता अधिनियम में उपभोक्ता दो वर्गों में बांटकर लाभान्वित किया गया है। (अ) माल का उपभोक्ता (ब) सेवा का उपभोक्ता

व्यक्ति (Person):-

अधिनियम में व्यक्ति शब्द में निम्नलिखित शामिल है :-

- (i) पंजीकृत या अपंजीकृत फर्म
- (ii) संयुक्त हिन्दू परिवार
- (iii) सहकारी संस्था
- (iv) व्यक्तियों का कोई संघ चाहे समितियों के

पंजीयन अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हों अथवा नहीं।

उपभोक्ता शोषण के कारण :-

व्यक्ति, जब किसी वस्तु या सेवा का प्रतिफल (मूल्य) भुगतान कर प्राप्त करता है या भाड़े पर लेता है, क्रेता के मूल्य के अनुसार वस्तु या सेवा से लाभ / सुविधा प्राप्त नहीं होती है, तब उस स्थिति को उपभोक्ता का शोषण कहा जाता है। उपभोक्ता शोषण के निम्नलिखित कारण हैं :-

1. वस्तु या सेवा की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता तथा मानक पर ध्यान दिए बिना क्रय किया जाना।
2. वस्तु या सेवा के विभिन्न प्रकारों के उपलब्ध होने पर सही वस्तु या सेवा का चयन नहीं होना।
3. वस्तुओं से सम्बंधित लिखित व अलिखित पूर्ण जानकारी का अभाव होना।
4. वस्तुओं की पैकिंग पर लिखित प्रचार पर विश्वास कर लेना।
5. उपभोक्ताओं का अशिक्षित होना।
6. क्रय की गई वस्तु/सेवा के मूल्य के भुगतान की रसीद/केश/विल/क्रय संविदा आदि प्राप्त नहीं करना।
7. दूषित या हानिकारक वस्तु व सेवा के विरुद्ध उपभोक्ता द्वारा लिखित व उचित तरीके से शिकायत नहीं करना।
8. शिकायतों पर शीघ्र निर्णय नहीं होना।
9. उपभोक्ताओं का संगठित नहीं होना।
10. सरकार पर पूँजीपतियों/उद्योगपतियों का प्रभाव होना आदि।

उपभोक्ता शोषण के प्रकार :-

उपभोक्ता का शोषण कई प्रकार किया जाता रहा है। विशेष रूप से शोषण की स्थिति तब होती है जब वस्तुओं का उत्पादन अधिक पूँजीवादी, शक्तिशाली बड़ी कम्पनियाँ करने लगती हैं। शोषण को दो वर्गों में बांटा गया है। माल या वस्तु के रूप में शोषण व सेवा के रूप में शोषण, इनके प्रकार निम्नलिखित हैं :-

(अ) माल या वस्तु :-

1. तौल, मात्रा वजन तथा माप में कमी कना।
2. बताई गई या दर्शाई गई किस्म का नहीं होना।
3. अशुद्धता या मिलावट होना।
4. निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य वसूल करना।
5. वस्तु की अपेक्षित क्षमता व गुणवत्ता में कमी।
6. वस्तु का असुरक्षित होना।
7. वस्तु के दोषों को जानबूझकर छिपाना। जो उपभोग करने पर उजागर होते हैं।



8. वस्तुओं या माल का कृत्रिम अभाव पैदाकर, अधिक मूल्य अथवा घटिया माल, खरीदने के लिए उपभोक्ता को मजबूर करना आदि।

(ब) सेवा :-

1. सेवा शर्तों के अनुसार समय पर गुणवत्ता युक्त संतोषजनक रूप से सेवा प्रदान नहीं करना।
2. सेवा का असुरक्षित व दोषयुक्त होना।
3. सुविधा / लाभ के स्थान पर हानि पहुँचाना।
4. शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक क्षति पहुँचाना आदि।

उपभोक्ता के अधिकार :-

उपभोक्ता संरक्षण का क्षेत्र माल विक्रय अधिनियम 1930 से शुरू माना जाता है, इसके बाद उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की श्रेष्ठतर संरक्षण व्यवस्था करना है। अधिनियम 1986 की धारा 6 में उपभोक्ताओं के संरक्षण एवं संवर्धन करने के लिए निम्नलिखित अधिकारों का प्रावधान किया गया है –



1. परिसंकट मय माल के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार :-

उपभोक्ताओं को उस माल के विपणन के विरुद्ध संरक्षण दिए जाने का अधिकार होता है, जो माल या सेवा उनके जीवन व सम्पत्ति के लिए संकट पैदा करते हैं। उदाहरण – अपमिश्रित खाद्य पदार्थ जीवन के लिए खतरनाक हैं और कमजोर सीमेन्ट सम्पत्ति व जीवन के लिए खतरनाक है।

2. सूचित किए जाने या सूचना का अधिकार :-

उपभोक्ता जो माल या वस्तु क्रय करता है, उसके गुण, मात्रा, शुद्धता मानक और मूल्यों के बारे में उत्पादक/विक्रेता से सूचना लेने का अधिकार है।

3. विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ या माल विभिन्न प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर पाने का अधिकार :-

उपभोक्ताओं के लाभ के लिए सरकार और प्राधिकारियों द्वारा विभिन्न प्रकार के मालों या वस्तुओं की आपूर्ति विभिन्न प्रकार के मूल्यों पर बाजार में प्रस्तुत कराई जाये। ताकि उपभोक्ता अपनी पसन्द का माल क्रय कर सकें और में एकाधिकार समाप्त हो सकें।

4. उचित फोरमों के समक्ष ध्यान पाने का अधिकार :-

राष्ट्रीय परिषद् को उपभोक्ताओं को यह आश्वासन दिए जाने का उत्तरदायित्व दिया गया है, कि उन्हें उचित फोरमों के समक्ष सुनवाई का अधिकार होगा और ऐसे फोरमों से उपभोक्ता को ध्यान एवं विचार मिलेगा। उचित परितोष फोरमों द्वारा उसकी समस्या पर सम्यक विचार हो।

5. अनैतिक शोषण के विरुद्ध परितोष प्राप्त करने का अधिकार :-

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 36 में उपभोक्ताओं को अवरोध या अनुचित व्यापारिक व्यवहारों या अनैतिक शोषण के विरुद्ध परितोष प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है।

6. उपभोक्ता शिक्षा पाने का अधिकार :-

राष्ट्रीय उपभोक्ता परिषद को यह दायित्व दिया गया है, कि उपभोक्ताओं को संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत उनके उपचारों के प्रति उचित शिक्षा उपलब्ध कराए। एक बार लोगों को यदि उनके अधिकारों का बोध करा दिया जाए तो वे विनिर्माता और व्यापारियों के द्वारा शोषण के विरुद्ध अपने आपको शक्तिशाली महसूस कर सकते हैं।

उपभोक्ता के कर्तव्य –

उपभोक्ता को शोषण या हानि से बचने के लिए वस्तु (माल) या सेवा क्रय करते समय/भाड़े पर लेते समय अपने निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करना होगा–

1. क्रय की गई वस्तु/सेवा के मूल्यों के भुगतान की रसीद/कैश/बिल/ क्रय की गई वस्तु/सेवा के मूल्यों के भुगतान की रसीद/कैश/बिल/क्रय संविदा आदि का विवरण आवश्यक रूप से प्राप्त करें।
2. वस्तु से सम्बंधित लिखित या अलिखित पूर्ण जानकारी प्राप्त करें।
3. वस्तुओं से श्रेणीकरण तथा गुणवत्ता के चिन्हों जैसे ISI/AG/ISO/FPO/ECO आदि पर पूरा ध्यान दें।
4. वस्तु व सेवा में कमी/दोष पाये जाने पर विक्रेता को तुरन्त सूचित कर हानि की क्षतिपूर्ति की मांग करें।
5. अपनी शिकायत की पुष्टि में दस्तावेज व प्रमाण जुटाएँ।
6. विनिर्माता या विक्रेता यदि उपभोक्ता की शिकायत पर ध्यान नहीं देता है तो अविलम्ब उपभोक्ता न्यायालय/राज्य सरकार, उपभोक्ता संगठन/मंच से सम्पर्क स्थापित करें।

उपभोक्ता विवाद निवारण के लिए किये गए उपाय :-

उपभोक्ता विवादों के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व माल विक्रय अधिनियम 1930 बनाया गया था। 24 दिसम्बर 1986 को भारतीय संसद ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया गया था। इसीलिए 24 दिसम्बर को भारत में उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अधिनियम में तीन स्तरों पर उपभोक्ता विवाद निवारण की व्यवस्था की गई है।

- (1) राष्ट्रीय स्तर पर
- (2) राज्य स्तर पर

(3) जिला स्तर पर।

राजस्थान स्तर पर :-

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1987 पारित किया। इसके अनुसार दो स्तरीय व्यवस्था की गई है।

(1) राज्य स्तर

(2) जिला स्तर पर

राज्य आयोग :-

राजस्थान उपभोक्ता संरक्षण नियमावली 1987 के नियम 7 के अनुसार :-

1. राज्य आयोग का कार्यालय राज्य की राजधानी में स्थित होगा।
2. राज्य आयोग के कार्य दिवस तथा कार्यालय समय वहीं होंगे जो राज्य सरकार के हैं।
3. राज्य आयोग की शासकीय मुद्रा तथा सम्प्रतीक ऐसा होगा, जैसा राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करें।
4. राज्य आयोग बैठक, जब कभी आवश्यक हो अध्यक्ष द्वारा बुलाई जायेगी।

जिला फोरम :-

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1987 के नियम 4 के अनुसार :-

1. जिला फोरम का कार्यालय जिला मुख्यालय पर स्थापित किया जायेगा।
2. जिला फोरम के कार्य दिवस तथा कार्यालय समय वहीं होंगे जो राज्य सरकार के हैं।
3. जिला फोरम की शासकीय मुद्रा तथा सम्प्रतीक ऐसा होगा जैसा राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करें।
4. जिला फोरम की बैठक जब कभी आवश्यक हो, अध्यक्ष द्वारा बुलाई जायेगी।

उपभोक्ता विवाद निवारण के प्रावधान :-

1. वस्तु या सेवा का मूल्य तथा हर्जाने के लिए चाही गई राशि 20 (बीस) लाख रुपये से अधिक नहीं है तो प्रत्येक जिले पर स्थापित जिला फोरम/मंच में उपभोक्ता अपना वाद/शिकायत दर्ज करा सकता है।
2. वस्तु या सेवा का मूल्य तथा हर्जाने के रूप में चाही गई राशि 20 (बीस) लाख से अधिक और एक करोड़ रुपये तक है। तो ऐसे विवादों का निस्तारण कराने के लिए उपभोक्ता द्वारा राज्य आयोग में अपना वाद/शिकायत दर्ज करा सकता है।
3. वस्तु या सेवा का मूल्य एक करोड़ रुपये से अधिक है तो

उपभोक्ता द्वारा अपना वाद/शिकायत राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग में वाद/शिकायत दर्ज करा सकता है।

वाद के निर्णय के विरुद्ध अपील करने के क्षेत्र -

(1) जिला फोरम द्वारा 90 दिन की अवधि में निर्णय नहीं देने या दिए गए निर्णय से उपभोक्ता के संतुष्ट नहीं होने पर वह जिला फोरम के निर्णय के विरुद्ध राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग में अपील कर सकता है। अपील करने की अवधि 30 दिवस रहेगी। (2) राज्य आयोग के निर्णय के विरुद्ध राष्ट्रीय आयोग में अपील की जा सकती है। (3) राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील करने का प्रावधान है।

विधिक जागरूकता

सर्वप्रथम फ्रान्स में गरीब, निर्धन तथा कंगाल लोगों की कानूनी सहायता के लिए कुछ कानून बनाए गए, तब सन् 1851 में विधिक सहायता आन्दोलन उजागर हुआ। ब्रिटेन में गरीब व जरूरत मन्दों को कानूनी सहायता के लिए कुछ नियम सन् 1944 में बनाए गए। न्याय के समान अवसर विषय पर भारत सरकार ने सन् 1960 में कुछ दिशा-निर्देश जारी किए। सन् 1980 में, राष्ट्रीय स्तर पर विधिक सेवा सहायता विषय पर नियम बनाने के लिए माननीय न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती के निरीक्षण में एक कमेटी बनाई गई। विधिक सेवा सहायता कार्यक्रम को समस्त भारत में एकरूपता से लागू करने के लिए भारत सरकार ने सन 1987 में विधिक सेवा अधिनियम 1987 पारित किया। यह कानून सम्पूर्ण देश में 5 नवम्बर 1995 से प्रभावी हुआ। इसीलिए 5 नवम्बर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है।

विधिक सेवा अधिनियम 1987 के अधीन नागरिकों को समानता का अवसर देते हुए, तथा न्यायिक व्यवस्था को उन्नत करने एवं आर्थिक विषमता को कम करने के लिए अनेकों योजनाएँ लागू की गई हैं। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, आदिवासी, विकलांग, श्रमिक, वृद्धजन, महिलाओं, बालकों तथा अन्य कमजोर वर्गों के लोगों को लाभ देने के लिए केन्द्र सरकार व राज्य सरकारों ने कई जन कल्याणकारी योजनाएँ बना रखी हैं। दूरदराज गांवों-ढाणियों में रहने के कारण तथा अशिक्षा व अज्ञान के कारण वे लोग इन जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। साथ ही नियमों, कानूनों की अनविज्ञता के कारण आपराधिक कृत्य भी कर देते हैं।

विधिक सेवा प्राधिकरण के संस्थान :-

1. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण
2. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
3. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

4. तहसील विधिक सेवा समितियाँ

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत गठित सेवा संस्थानों द्वारा जनकल्याणकारी योजनाओं एवं संशोधित नियम कानूनों की जानकारी समाज के सभी नागरिकों तथा पहुँचाने का कार्य विधिक जागरूकता कहलाती है।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण :-

राजस्थान में, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना अधिनियम 1987 के अधीन की गई है। जिसका मुख्यालय राजस्थान उच्च न्यायालय भवन जयपुर में स्थित है। माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय इसके मुख्य संरक्षक एवं वरिष्ठ न्यायाधीश इसके कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं। जिनके निर्देश में पूरे राज्य में विधिक सेवा कार्यक्रमों का संचालन होता है।

राजस्थान राज्य प्राधिकरण के कृत्य :-

1. राज्य प्राधिकरण का यह कृत्य होगा कि वह केन्द्रीय सरकार की नीति और निर्देशों को कार्यान्वित करें।
2. ऐसे व्यक्तियों को विधिक सेवा देना, जो इस अधिनियम के अधीन मानदण्डों की पूर्ति करते हैं।
3. लोक अदालतों का, जिनके अन्तर्गत न्यायालय के मामलों के लिए लोक अदालतें भी हैं, संचालन करना।
4. निवारक और अनुकूलन विधिक सहायता कार्यक्रमों का जिम्मा लेना।
5. स्थाई लोक अदालतों का संचालन।
6. वैकल्पिक विवाद निराकरण व्यवस्था।
7. विधिक चेतना का प्रचार एवं प्रसार करना।
8. ऐसे कृत्यों का पालन करना जो केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा निर्देशित किये जावें।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दो पैनल अधिवक्ता व दो पैरा लीगल वालिन्टियर्स की विधिक जागरूकता टीमें गठित की गई हैं।

विधिक जागरूकता करने के उपाय :-

1. न्यायिक अधिकाकारीगण व विधिक जागरूकता टीम द्वारा, विद्यालय, महाविद्यालय एवं सार्वजनिक स्थानों पर विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन किया जाता है।
2. 8 मोबाइल वनों के माध्यम से गांव-गांव में सचल लोक अदालत एवं विधिक जागरूकता अभियान चलाया जाता है।
3. आकाशवाणी, दूरदर्शन व कम्प्यूनिटीरेडियो पर नियमित "कानून की बात" साप्ताहिक कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता है। दूरदर्शन राजस्थान पर प्रत्येक शनिवार को सांय 7:00 बजे से 7:30 बजे तक एवं राजस्थान के सभी आकाशवाणी केन्द्रों पर प्रत्येक रविवार को सांय 5:45 बजे से 6:00 बजे तक "कानून की बात" का विधिक

जागरूकता हेतु जनहित में प्रसारण किया जा रहा है।

4. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पर्चे व लघु-पुस्तिकाएँ छपवाकर वितरित करवाई जाती हैं। अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें

(राजस्थान) राज्य स्तर पर -

श्रीमान सदस्य सचिव, राजस्थान,

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर

टेलीफोन नम्बर-0141-2227481

फैक्स नं.- 0141-2227602

हैल्पलाइन नम्बर- 0141-2385877

जिलास्तर पर - अध्यक्ष / सचिव, जिला विधिक प्राधिकरण

तहसील स्तर पर- अध्यक्ष-तहसील विधिक सेवा समिति

प्रमुख लाभकारी नियम व योजनाएँ -

राजस्थान राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित योजनाएँ चलाई जा रही हैं।

1. दुर्घटना मृत्यु पर सहायता -

असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत श्रमिक की दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5 लाख रुपये की सहायता दी जाती है।

2. चिकित्सा अनुदान राशि योजना -

पंजीकृत श्रमिकों को इलाज कराने के लिए एक लाख रुपये की राशि सहायता दी जाती है।

3. निर्माण श्रमिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति -

पंजीकृत श्रमिकों के कक्षा 6 से 8 तक छात्र को 1000/- रु. व छात्रा को 1500/- रु. छात्रवृत्ति राशि, कक्षा 9 से 12 तक छात्र को 2000/- रु. छात्रा को 2400/- रु. छात्रवृत्ति, स्नातक स्तर पर छात्र को 4000/- रु. छात्रा को 5000/- रु. तथा स्नातकोत्तर स्तर पर छात्र को 6000/- रु. छात्रा को 8000/- रु. छात्रवृत्ति देने की योजना लागू की गई है।

4. प्रसूति सहायता योजना :-

महिला हितकारी योजना में दो प्रसव के लिए प्रति प्रसव 6000/- रु. प्रसूति सहायता दी जा रही है।

5. राजस्थान विश्वकर्मा गैर संगठित कामगार अंशदायी योजना-

पंजीकृत श्रमिकों के जीवन सुरक्षा के लिए अंशदायी पेन्शन लाभ दिया जाता है।

6. मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 -

पंजीकृत महिला श्रमिकों को बच्चे के जन्म से पूर्व 6 साप्ताह और जन्म के बाद 6 सप्ताह का मजदूरी सहित अवकाश

पाने का अधिकार है।

7. कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए राज्य बीमा व कर्मचारी भविष्य निधि योजना चलाई जा रही है।

8. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006—

21 वर्ष से कम आयु का लड़का तथा 18 वर्ष से कम आयु की लड़की की शादी बाल विवाह कहलाता है यह दण्डनीय अपराध है नियमानुसार बाल विवाह करने पर माँ व बाप को दो साल तक की कड़ी सजा या एक लाख रुपये जुर्माना या दोनों सजाएँ हो सकती हैं।

9. नकल विरोधी कानून —

राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों पर रोक) अधिनियम 1992 के अनुसार परीक्षाओं के दौरान नकल एवं अनुचित साधनों के प्रयोग करने पर तीन साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है नकल करने वाले छात्र के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाता है और उसे स्कूल से निष्कासित कर दिया जाता है।

सूचना का अधिकार

भारत के संविधान ने हर नागरिक को बोलने की स्वतंत्रता दे रखी है। जनता टैक्स देती है, इसलिए जनता को यह जानने का अधिकार है कि उसके द्वारा चुकाई गई रकम सही कामों पर खर्च हुई या नहीं? कामों की गुणवत्ता कैसी है? सरकार की जनता के प्रति पूरी जबाबदेही है या नहीं? किसी भी नागरिक द्वारा मांगने पर सरकारी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा सूचना देनी होगी। सूचना/जानकारी लेना नागरिकों का अधिकार है, यही सूचना का अधिकार है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 :—

लोकसभा द्वारा यह कानून 15 जून 2005 को पारित हुआ था राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून पूरे देश में 13 अक्टूबर 2005 से लागू हो चुका है। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत देश के नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार दिए गए हैं :—

1. हर नागरिक को यह अधिकार है कि राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के किसी भी विभाग अथवा कार्यालय से वह सूचना प्राप्त कर सकता है।
2. कोई भी नागरिक दस्तावेज या रिकार्ड देख सकता है और दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियाँ ले सकता है।
3. कामों को भी देख सकेगा।
4. काम में आने वाली सामग्री के नमूने ले सकेगा।
5. कम्प्यूटर, सी.डी. या फ्लोपी में भी सूचना ले सकेगा।

6. मजदूरी के मस्ट्रोल, लॉग बुक टेण्डर के दस्तावेज, कैंस बुक विभाग की योजनाएँ आदि की जानकारी लेने का अधिकार है।

सूचना प्राप्त करने का तरीका :—

कोई भी नागरिक जो सूचना लेना चाहता है उसे निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन पत्र देना होगा। आवेदन पत्र के साथ 10/- रु. नकद या पोस्टल ऑर्डर के रूप में जमा कराने होंगे।

1. अगर सूचना बड़े आकार के कागज की नकल की है तो अलग राशि देनी होगी।
2. सी.डी. या फ्लोपी के लिए 50/- रु. जमा कराने होंगे।
3. फोटोकापी 2/- रु. प्रति पृष्ठ की दर से देने होंगे।
4. रिकार्ड या दस्तावेज देखने के लिए 10/- रु. जमा कराने के बाद एक घण्टा निःशुल्क रिकार्ड देख सकते हैं, उसके बाद हर 15 मिनट या उससे कम समय के लिए 5/- रु. देने होंगे।
5. आवेदन के 30 दिवस के अन्दर सूचना प्राप्त कर सकेगा
6. व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता के बारे में 48 घण्टे में सूचना प्राप्त कर सकेगा।
7. सहायक सूचना अधिकारी 35 दिन में सूचना मंगवाकर देगा।
8. समय अवधि के अन्दर सूचना न मिलने पर सूचना देने से इंकार माना जायेगा।

सूचना नहीं देने पर जुर्माना अथवा पैनल्टी सूचना :—

सूचना देने वाला अधिकारी बिना किसी सही कारण के आवेदन लेने से मना करे, जानबूझकर गलत या अधूरी या भ्रामक सूचना दे, तो 250/- रु. रोजाना कुल 25000/- रु. तक के जुर्माने का प्रावधान है।

सूचना आयोग लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की सिफारिश भी कर सकता है।

कौन सी सूचना नहीं मिल सकती हैं :—

1. राज्य की सुरक्षा सम्बंधी सूचना।
2. सुरक्षा रणनीति, विज्ञान एवं आर्थिक मामलों की गोपनीय जानकारी।
3. विदेशों से प्राप्त गोपनीय सूचनाएँ।
4. जिससे न्यायालय, संसद या विधानसभा के अधिकार का हनन हो।
5. गुप्तचर ब्यूरो, सीमा सुरक्षा बल, अपराध या जिससे सुरक्षा को खतरा हो।

सूचना अधिकारी :—

1. ग्राम पंचायत में — सचिव या ग्राम सेवक



2. पंचायत समिति में – विकास अधिकारी
3. जिला परिषद में – मुख्य कार्यकारी अधिकारी
4. नगर पालिका में – अधिशाषी अधिकारी
5. राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त संस्था में– मुख्य कार्यकारी अधिकारी
6. विश्वविद्यालय में – कुल सचिव
7. सरकारी विभाग में विभागाध्यक्ष के अधीन वरिष्ठतम अधिकारी
8. शासन सचिवालय में – सचिव प्रशासन सुधार विभाग

अपील का समय :-

लोक सूचना अधिकारी से सूचना मिलने के 30 दिन के अन्दर उच्च अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील की जा सकती है।

अपील अधिकारी :-

ग्राम सेवक की अपील सरपंच को, विकास अधिकारी की अपील प्रधान को, अतिरिक्त कलेक्टर की अपील-जिला कलेक्टर को, प्रथम अपील की जा सकती है। 30 दिन में सुनवाई नहीं होने पर दूसरी अपील राज्य सूचना आयोग को करनी होगी।

महत्वपूर्ण बिन्दु

1. किसी वस्तु या सेवा का प्रतिफल चुका कर उसे प्राप्त कर अन्तिम उपयोग कर्ता उपभोक्ता कहा जाता है।
2. वस्तु या सेवा क्रय करते समय या भाड़े पर लेते समय उसकी गुणवत्ता, मात्रा शुद्धता उपयोगिता तथा मानक पर ध्यान देना चाहिए।
3. मात्रा, माप, शुद्धता में कमी होने पर तथा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य मांगने वाले की तुरन्त शिकायत करें।
4. उपभोक्ता अपने अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति सजग रहे।
5. सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी व लाभकारी योजनाओं की जानकारी रखना विधिक जागरूकता है।
6. सूचना का अधिकार 2005 देश के प्रत्येक नागरिक को अधिकार देता है कि वह केन्द्र या राज्य सरकार के किसी भी विभाग या कार्यालय से सूचना प्राप्त कर सकता है या

रिकार्ड देख सकता है।

7. 30 दिवस के अन्दर सूचना नहीं मिलने या सही सूचना नहीं होने, सूचना प्राप्तकर्ता द्वारा उच्च अधिकारियों से शिकायत की जा सकती है।
8. नागरिक को सूचना के विरुद्ध अपील करने का अधिकार है।

अभ्यास प्रश्न

लघूत्तरात्मक प्रश्न –

1. उपभोक्ता वस्तु या सेवा किस प्रकार प्राप्त करता है?
2. वस्तुओं के आदान प्रदान की आवश्यकता क्यों हुई?
3. व्यक्ति किसे कहा गया है?
4. विधिक जागरूकता में कौनसी योजनाओं की जानकारी की जाती है?
5. विधिक सेवा प्राधिकरण के कितने स्तर हैं?
6. 'कानून की बात' किस दिन और कितने बजे प्रसारित होता है?
7. सूचना का अधिकार कानून देश में लागू कब हुआ था?
8. 30 दिवस के अन्दर सूचना नहीं मिलने पर क्या करना चाहिए?

निबन्धात्मक प्रश्न –

1. उपभोक्ता अधिनियम 1986 के अनुसार उपभोक्ता कौन है?
2. उपभोक्ता शोषण किस प्रकार रोका जा सकता है?
3. विधिक जागरूकता किसे कहा जाता है?
4. सरकार ने विधिक जागरूकता के कौनसे उपाय किए हैं?
5. नकल रोकने का कानून क्या है?
6. सूचना का अधिकार 2005 द्वारा नागरिकों को कौन से अधिकार दिए गए हैं?
7. सूचना किस प्रकार प्राप्त की जाती है?
8. सूचना अधिकारियों का प्रावधान किस प्रकार किया गया है?